(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1735—एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—06—2005 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 540/2002—2003/अपील

.....

महिला कस्तूरी बेवा पत्नी हल्लूराम
निवासी—मनियर तहसील व जिला शिवपुरी
द्वारा मुख्त्यार उमेश वर्मा पुत्र स्व0 श्री हल्लूराम वर्मा

निवासी— ग्राम मनियर व जिला—शिवपुरी

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— महिला पुष्पा देवी बेवा पत्नी जगदीश प्रसाद पाठक
निवासी—गुना(म0प्र0)

2— श्रीमती गोमती देवी शुक्ला पत्नी स्व0
श्री हरीकृष्ण शुक्ला
निवासी—वीरसावरकर कॉलोनी, शिवपुरी
जिला—शिवपुरी(म0प्र0)

3— श्रीमती सरोज सैन पत्नी श्री घनश्याम सैन
निवासी—वीरसावरकर कॉलोनी, शिवपुरी
जिला—शिवपुरी(म0प्र0)

.....अनावेदिकागण

.....

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अजीत जैन, अभिभाषक, अनावेदिकागण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/3/2017 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—06—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदिका की ओर से तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र संहिता की धारा 185/190 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मनियर में अनावेदिका की भूमि क्रमांक 111 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा है जो उसके द्वारा 40–50 साहल पहले मौखिक अनुबंध पर इस शर्त पर दी गई थी कि वह लगान अदा करता रहे और भूमि पर कृषि करते रहे है। इस कारण उक्त अनुबंध और भूमि पर अपना नामांरतण भूमिस्वामी स्वत्व पर चाहा, जो तहसील न्यायालय के द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1/2000–01/अ–46 में आदेश दिनांक 08.11.2000 को पारित करके स्वीकार कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 84/2002–03/अपील पर संस्थित हुआ एवं आदेश दिनांक 23.06.2003 द्वारा स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 540/2002–2003/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 08.06.2005 द्वारा ठोस आधार के अभाव में अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रिका एवं साक्ष्यों तथा दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही प्रकरण में मनमाना एवं मनगंढत आलोच्य आदेश पारित किया है। आवेदिका कस्तूरी बाई द्वारा मौखिक पट्टे को साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया तथा कब्जा को प्रमाणित किया है। लगातार वर्ष 1975 से बिना बेदखल किये काबिज होकर तथा अनावेदिका के पति जगदीश प्रसाद तथा उसकी मृत्युपरांत अनावेदिका को आधी उपज लगाने के रूप में अदा करती है। अनावेदिाक के पति जगदीश द्वारा एवं जगदीश की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी अनावेदिका द्वारा आज तक धारा 250 के तहत बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिये धारा 168–169 के अन्तर्गत उस भूमि पर

आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति का मौखिक काश्तकार के अधिकार उत्पन्न होने से भूमिस्वामी हो गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदिकागण के अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया । आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 185–190 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि भूमि क्रमांक 111 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा स्थित ग्राम मनियर अनावेदिका के नाम शासकीय कागजात में अंकित है तथा उपरोक्त अनावेदिका द्वारा उक्त भूमि पिछले 40–50 वर्ष पूर्व आवेदिका को लगान देते रहने की शर्त पर कृषि कार्य करने को दी थी, किन्तु आवेदिका ने अपने तर्क में यह बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के पति को अनावेदिका के पति स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पाठक के द्वारा मौखिक पट्टे पर दी थी। यह दोनों ही बातें एक–दूसरे के विपरीत है। इसलिये तहसील न्यायालय में आवेदिका के द्वारा कही गई बात को ही सही मानना होगा । किन्तु अनावेदिका एक बृद्ध एवं विधवा महिला है, इसी कारणवश संहिता की धारा 168 के तहत उसको पट्टा देने की छूट है और यही वजह है कि आवेदिका को संहिता की धारा 169 का लाभ नहीं मिल सकेगा। चूँकि आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 168–169 के आधार पर ही मौरूषी कृषक के स्वत्व प्राप्त होना मानकर प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित होना मानकर कार्यवाही की गई है, इसलिये अनावेदिका के बृद्ध एवं विधवा महिला होने के कारण ही संहिता की धारा 168(2)(एक) व (पांच) के अंतर्गत वह अपनी भूमि को कृषि के लिये पट्टे पर देने के लिये स्वतंत्र है और इस कारण धारा 169 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 08.06.2005 उचित प्रतीत होता है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के आभाव में खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने प्रकरण क्रमांक 540/2002–03/अपील में दिनांक 08.06.2005 को जो आदेश पारित किया है, वह विधिसंगत है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2005 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर